


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हरीश देवन्दा बनाम लोक सूचना अधिकारी अपील संख्या 2026/183	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.26	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की टिप्पणी पत्रांक प.19/सम्पर्क पोर्टल/संआज/79 दिनांक 02.04.2026 से प्राप्त। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपेक्षित सूचना कार्यालय के पत्रांक प.19/आरटीआई/सम्पर्क पोर्टल/संआज/70 दिनांक 17.02.2026 को प्रेषित कर सूचित करते हुए जवाब प्रेषित किया गया है कि "आपके द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 20.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बारे में सूचना चाही गई है, उक्त प्रार्थना पत्र को सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत क्रमांक 122507825250602 से दर्ज कर दिया जो कि सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन देखी जा सकती है।" आवेदक द्वारा अपेक्षित सूचना के सम्बन्ध में चाही गई जानकारी के सम्बन्ध में प्रत्युत्तर निर्धारित समयाधि में सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। प्रथम अपील खारिज कर निस्तारित करने का श्रम करावें।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित शिकायत को सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कर शिकायत के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही को सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन देखी जा सकती है, के सम्बन्ध में पत्रांक 70 दिनांक 17.02.2026 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है तो ऐसे में अपीलार्थी स्वयं ही अपनी शिकायत के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन देख सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर आदेश सुनाया गया।</p>	


(वे.सरवण कुमार)
(अपीलेट अधिकारी)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।